समक्ष सदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

प्र.क्र. ----/निग./13-14 . R-2103-II/14

दीपक फास्टनर्स लिमिटेड, बी-59-60, इन्द्रा बिहार

कालोनी भोपाल द्वारा-कुशाल मगरे

ग्राम खोकरी तहसील व जिला सीहोर-------------निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी तहसील जिला सीहोर------रेस्पान्डेन्टस.

निगरानीकर्ता अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 10/3/2014, प्र.क्र. 01/पुनराविलोकन/2013-14-दीपक फास्टनर्स वि.म.प्र.शासन द्वारा पारित अनुविभागीय अधिकारी तहसील व जिला सीहोर जिसके द्वारा प्र.क्र. 319/अ-2/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30/9/11 के पुनराविलोकन करने का आवेदनपत्र अवधि बाधित मानागया।

महोदय,

निगरानीकर्ता अधि.न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर द्वारा पारित आदेश से प्रभावित व असंतुष्ट होकर निम्नांकित तथ्यों एंव विधि आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है:-

1:- यहकि निगरानीकर्ता/ आवेदक ने ग्राम खोकरी तहसील वजिला सीहोर स्थित कृषि भूमि कुल किता 62 रकबा 34.642 हेक्टयर का औद्योगिक प्रयोजन हेतु डायवर्शन किये जाने हेतु दिनांक 25/8/2011 को आवेदनपत्र प्रस्तुत कर प्र.क्र. 319/अ-2/10-11 पंजीबद्ध कराया जो सुनबाई का अवसर दिये बिना व्यप्रतीत लगान 52,04,098/-रूपये एंव रूपया-5,19,683/- इन दोनो का आधा-26,02,049/-रूपये व 2,59,842/-रूपये कुल 85,85,672/-रूपये अधिरोपित किया गया । उक्त आदेश का पुनराविलोकन धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं.के तहत किये जाने हेतु आवेदन दिनांक 26/2/2014 को प्रस्तुत किया जो प्रांरभिक सुनबाई के उपरांत पंजीबद्ध कर आदेश हेतु दिनांक 10/3/2014 को नियत किया गया ।

For DEEPAK FASTENERS LTD.

Authorised Signatory

2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R -2103-II/2014 **जिला सीहोर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13 –01–2016	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 01/पुनरावलोकन/13–14 में पारित आदेश दिनांक 10–3–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2 आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 गुरोदिया द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया तथा प्रश्नाधीन आदेश का परिशीलन किया गया। 3 परिशीलन करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवसायिक डायवर्सन हेतु आवेदन पत्र पर प्रकरण कमांक 319/अ–2/10–11 में पारित आदेश दिनांक 30–9–11 से कुल रूपये 85,85,672/–डायवर्सन राशि अधिरोपित की गई । 4 अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 30–9–11 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के तहत दिनांक 26–2–14 को पुनरावलोकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन दिनांक 26–2–14 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 10–3–14 से यह अंकित करते हुए निरस्त कर दिया गया "कि उन्हें पुनरावलोकन नियमानुसार 90 दिन के भीतर पुनरावलोकन का आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था जो नहीं किया गया । आवेदन अवधि बाह्य होने से निरस्त किया जाता है"। 5 भू–राजस्व संहिता की धारा 51–1 (तीन) में यह स्पष्ट अंकित है कि "किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन जो प्राइवेट व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों से किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जावेगा अन्यथा नहीं और ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिये कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जावेगा जब तक कि वह उस आदेश के पारित किए जाने के 90 दिन के भीतर न किया	

प्रकरण कमांक R -2103-II/2014 जिला सीहोर

दीपक/शासन.

गया हो ।

6 उक्त कंडिका में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि जहां शासन एवं प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट व्यक्ति तथा शासन पक्षकार हो वहां 90 दिन की अवधि शिथिल रहेगी ।

7 उपरोक्त परिस्थितियों एवं प्रकरण में उपस्थित तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10–3–14 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अतः प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप प्रथम दृष्टया निगरानी में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य करते हुए इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों । प्र0दा0रि0 हो ।

13.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य